SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

भारत के राष्ट्रीय शैक्षणिक उत्थान में नई शिक्षा नीति, 2020 की उपादेयता

दीपा गुप्ता, शोधार्थी, शिक्षा विभाग
इंस्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशन एण्ड रिसर्च, मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तरप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
दीपा गुप्ता, शोधार्थी

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 29/02/2024
Revised on : -----
Accepted on : 01/05/2024
Overall Similarity : 03% on 23/04/2024

शोध सार

वर्तमान समय के भारत में नई शिक्षा नीति का विशेष महत्त्व है। इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक और नवाचार जैसे गुणों का विकास होगा इसके साथ ही विद्यार्थी इसके दोनों पक्षों का मूल्यांकन भी कर सकेंगे। प्रस्तुत शोध–पत्र में उच्च शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति (2020) का मूल्यांकन उसके पक्ष एवं विपक्ष के पहलुओं को ध्यान में रखकर किया गया है। वर्तमान समय में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुये नई शिक्षा नीति के प्रारूप से लोगों को परिचित कराया गया है। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देना है, अपितु उन्हें व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा भी देना है जिससे वे अपना मानसिक/बौद्धिक क्षमता को विकसित कर उसे समाज के विकास के योग्य बनाये। प्राचीन काल से ही यह माना गया है कि शिक्षा किसी भी समाज के विकास के लिए आधार सतंभ होती है, जो देश के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण होती है। समय के परिवर्तन के साथ–साथ व्यक्ति की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन के अनुरूप शिक्षा में भी बदलाव करना अनिवार्य होता है। तकनीकी विकास के साथ तकनीकी शिक्षा की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को किताबी एवं व्यावहारिक ज्ञान के साथ–साथ तकनीकी ज्ञान भी दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी योग्यताओं को और अधिक बेहतर बना सकें और भविष्य को एक नयी दिशा दे पाने में समर्थ हों। इसी को ध्यान में रखते हुये वर्ष 2020 में संसद में नई शिक्षा लाने के लिए बिल पास किया गया। 2020 शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। भारत की शिक्षा नीति में प्रथम बदलाव इंदिरा गांधी के दौरान और दूसरा बदलाव राजीव गांधी के समय हुआ था। नई शिक्षा नीति (2020) के अंतर्गत पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 के मॉडल के अनुसार तैयार किया गया है,

जिसमें प्रथम 5 वर्षों को फाउंडेशन के लिए स्थान दिया गया है जिसकी महत्वाकांक्षा बेहतर भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार करना है। इसमें यह निर्धारित किया गया है कि इन प्रथम पाँच वर्षों के पाठ्यक्रम को एनसीईआरटी (NCERT) तैयार करेगी। इन पाँच वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के लिए 3 वर्ष तथा पहली और दूसरी कक्षाओं को सम्मिलित किया गया। शिक्षा के इस नये मॉडल में किताबों के भार को कम किया गया है जिसके पीछे की मंशा यह है कि बच्चे आनंद के साथ सीखेंगे और उनके अंदर सृजनात्मकता के गुण विकसित होंगे। इस मॉडल में अगले 3 वर्ष तीसरी, चौथी एवं पाँचवीं कक्षाओं को दिया गया है। इस समयावधि के अंतर्गत बच्चों को गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के साथ–साथ मातृभाषा जैसी विषयों को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद 3 वर्षों को छठवीं, सातवीं एवं आठवीं कक्षाओं के लिए निर्धारित किया गया है। इन तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों को एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा इसके साथ–साथ विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के लिए भी प्रेरित किया जाएगा और उनको कोडिंग सिखाया जाएगा। अगले 4 वर्षों को 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा के निर्धारित किया गया है। इसमें विद्यार्थियों को यह स्वतंत्रता प्रदान की गयी है कि वे अपनी इच्छा से विषयों को अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना सकेंगे। नई शिक्षा नीति (2020) के अंतर्गत मातृभाषा को बढ़ावा दिया गया है। विद्यार्थियों के अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार कर शिक्षण के तकनीकी में सुधार कर उनमें सृजनात्मकता को विकसित करना है।

मुख्य शब्द

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तकनीकी, मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा.

प्रस्तावना

शिक्षा के क्षेत्र में भारत का एक विशेष महत्त्व है। शिक्षा में अपनी अलग पहचान के लिए भारत को विश्वगुरु के रूप में पहचान मिली है। प्राचीनकाल से ही नालंदा एवं तक्षशिला शिक्षा का केंद्र बिंदु रहे हैं। अलग–अलग देशों से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन के लिए आते थे। शिक्षालय एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहाँ राष्ट्र का निर्माण एवं विनाश दोनों की संभावना होती है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में शिक्षा पर ब्रिटिश हुकूमत का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। आजादी के बाद शिक्षा की नीतियों में समय–समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। शिक्षा में परिवर्तन का एक मात्र उद्देश्य विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जितने अधिक परिवर्तन हुये हैं शायद किसी और क्षेत्र में हुये होंगे। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा में अनेकों परिवर्तन हुये लेकिन हर बार कुछ–न–कुछ छुट जाता है। भारत की विविधता वाली संस्कृति में सभी की आकांक्षाओं को ध्यान में रख पाना संभव नहीं है। जब भी कोई परिवर्तन होता है तो उसके दो पहलू होते हैं। कुछ लोगों के हित में वह परिवर्तन सही होता है तो कुछ लोगों के लिए गलत साबित हो जाता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूर्व के अभाव को पूरा करने का प्रयास किया गया है लेकिन अभी भी कुछ कमियाँ हैं जिससे विद्यार्थियों को हानि का सामना करना पड़ सकता है।

भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। भारत की नई शिक्षा नीति इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि पिछले कई वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार की गुंजाइश थी इसलिए भारत में नई शिक्षा नीति को रेखांकित किया गया। पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ–साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी एक रूपरेखा तैयार करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य आने वाले समय में भारत को सशक्त बनाना तथा तकनीकी शिक्षा में विकास करना और शिक्षा को मातृभाषा के स्तर पर संचालित करना इत्यादि उद्देश्यों के साथ लागू किया गया है। इसका उद्देश्य यह भी है कि यह धर्म, लिंग, जाति या पंथ के आधार पर बिना भेदभाव के सबके लिए समान रूप से शिक्षा उपलब्ध कराना। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का उद्देश्य समाज में भेदभाव रहित सभी के लिए समान शिक्षा प्रदान करना है। यह नीति भारत को बदलने में अपनी भूमिका निर्वहित कर सकती है। सभी को सामान ढंग से एक मंच पर लाने का प्रयास है और समाज में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करना और समाज को आगे लेकर चलना इसकी महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ हैं।

इस नीति की परिकल्पना में यह कहा जा सकता है कि हमारे शिक्षण संस्थानों में नए पाठ्यक्रमों को सम्मिलित कर विद्यार्थियों के बीच में शिक्षा के प्रति समरसता एवं रुचि पैदा होगी। शिक्षाशास्त्र के विद्यार्थियों के मौलिक कर्तव्यों को प्रेरित करेगी तथा उनमें सम्मान की भावना को विकसित करेगी। इसके साथ–साथ उनके बीच संवैधानिक मूल्यों तथा अपने देश के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए बदलती दुनिया के साथ एक सामंजस्य पैदा करेगी। इस नीति का दृष्टिकोण विद्यार्थियों के बीच ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास, बुद्धि और कर्म के साथ–साथ विचारों में तीव्रता लाकर समाज को नई दिशा में लेकर जाना है। मानव अधिकारों को संरक्षित करने के लिए तथा वैश्विक कल्याण के लिए भारत के प्रतिबद्धता इस नई शिक्षा नीति के द्वारा दिखाई देती है। जिसमें नागरिकों को प्रतिबिंबित किया गया है और उनके अधिकार कौशल को विकसित करने के लिए तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया है।

किसी भी समुदाय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उद्देश्य उस समाज में रह रहे व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना होता है जो उनके जीवन को उत्कृष्ट, विचारशील और रचनात्मक बना सके। यह एक विद्यार्थी के बीच अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता पैदा करने में सक्षम है। इसके अंतर्गत अनेकों विषयों को समाहित किया गया है जैसे– विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानवीकी, भाषा, व्यक्तिगत तकनीकी, व्यावसायिक कौशल इत्यादि क्षेत्रों में गहराई से अध्ययन करने और उनके चारित्रिक, नैतिक और संवैधानिक–मूल्यों का विकास करने के लिए यह शिक्षा नीति काफी महत्त्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के बीच बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक सोच, समाज के प्रति सेवा की भावना तथा 21वीं सदी में तकनीकी कौशल को समाहित करने में सक्षम है। यह नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन के साथ–साथ कौशल को दर्शाती है और इसके केंद्र में बहु–विषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय सम्मिलित हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शैक्षणिक उत्थान के लिए एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को नवीनतम एवं व्यापक बनाना है; ताकि हर एक बच्चे को समर्पित, समर्थ और सक्षम नागरिक के रूप में तैयार किया जा सके।

इस नीति में कई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को सुधारने का उद्देश्य रखते हैं। कुछ मुख्य उपायों में निम्नलिखित तत्त्व सम्मिलित हैं:

- **नई शिक्षा पॉलिसी की संरचना:** इस नीति में 5+3+3+4 संरचना का प्रस्ताव है, जिसमें बच्चों की आयु के अनुसार शिक्षा का संरचना है।
- **सामग्री का बदलाव:** नई शिक्षा नीति में भारतीय समाज और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में सुधार किया गया है।
- **तकनीकी का उपयोग:** नई शिक्षा नीति में शिक्षा में तकनीक (टेक्नोलॉजी) का उपयोग बढ़ाने का प्रस्ताव है, ताकि शिक्षा प्रक्रिया प्रभावी और अधिक उपयुक्त हो।
- **योजना का अनुसरण:** इस नीति में योजना का अनुसरण और मूल्यांकन के लिए एक समान वितरण तंत्र प्रस्तावित किया गया है।
- **गुणवत्ता का मानकीकरण:** शिक्षा की गुणवत्ता को मानकीकृत करने के लिए विभिन्न परीक्षण, प्रक्रियाएँ और मानकों की विकसित की किया जाएगा।

इसके अलावा, नई शिक्षा नीति में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई और पहलूओं को संज्ञान में लिया गया है। इस नीति का उद्देश्य है कि भारत की युवा–पीढ़ी सशक्त और सु–संस्कृत नागरिकों के रूप में विकसित हो।

साहित्य समीक्षा

इस शोध–पत्र में पिछले अध्ययनों का मूल्यांकन प्रस्तुत है, जो इस अध्ययन की सार्थकता को प्रमाणित करता है और प्रत्यक्ष रूप से इसकी प्रासंगिकता को भी दर्शाता है। इस शोध अध्ययन में उच्च शिक्षण संस्थानों के अध्ययन

की क्रिया–विधियों को दर्शाया गया है। **पीएस ऐथल और शुभ्रज्योत्सना ऐथल के अनुसार**– भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एक गुणवत्तापूर्ण, आकर्षक, समर्थ एवं कौशलपूर्ण स्थितियों में सुधार के लिए नीतिगत प्रेरणा के रूप में स्पष्ट होती है। समाज में शिक्षा के संस्थाओं को सार्वजनिक रूप से आपूर्ति बढ़ाने के लिए तथा सरकारी संस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करके समाज के लिए सभी को समान शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराती है। साथ–ही–साथ नियंत्रण की स्थिति को भी दर्शाती है, जिससे समाज अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सही दिशा में आगे बढ़ सके। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और सभी के लिए स्कॉलरशिप के साथ–साथ योग्यता आधारित विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 2030 तक निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीद है। इसके अंतर्गत संबद्ध कॉलेज के नामकरण के साथ–साथ सभी उच्च शिक्षण संस्थान को बहू अनुशासनात्मक स्वायत्त कॉलेज के रूप में उनके नाम पर डिग्री देने की शक्ति के साथ–साथ विस्तार करने का प्रयास है। नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत छोटे–छोटे कॉलेज का संबंध विश्वविद्यालय के साथ घटकों के रूप में जोड़ने का प्रयास है। सभी शिक्षण संस्थानों को एक निष्पक्ष एजेंसी (नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, बुनियादी विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे समूह से जुड़े संस्थानों को) अनुसंधान एवं परियोजना कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराएगी।

अजय कुरियन और सुदीप भी चंद्रमना के अनुसार, नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा समाज के लोगों के लिए अप्रत्याशित बिंदु है। नई शिक्षा नीति 2020 में अनेक बदलाव को प्रस्तुत किया गया है और उनकी सिफारिश की गई है। पूर्व की शिक्षा नीति में कई ऐसे नियम हैं, जिन्हें शिक्षा जगत में कभी अपनाया नहीं गया हैं। ऐसे नियमों को नई शिक्षा नीति के अंतर्गत समाहित नहीं किया गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूल और कॉलेज को समान रूप से प्रभावित किया गया है।

नई शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी दोनों में प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ–साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण में परिवर्तन का एक व्यापक ढाँचा प्रस्तुत है। भारत में बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को एक समग्र रूप प्रदान किया गया है जिससे देश में उच्च शिक्षा पर एक सकारात्मक तथा दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सके। इसके अंतर्गत विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में परिसर खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इससे अपने देश की शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने में सहायक हो सकता है। इसके अंतर्गत बहु–विषयक शिक्षण संस्थाओं की सिफारिश की गई है और अनेक विषयों के प्रति विद्यार्थियों में प्रेरणा विकसित करने के लिए नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति, 2020 के माध्यम से भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को वर्तमान में 26: से बढ़ाकर 50: करने की कल्पना की गई है जो एक सराहनीय पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य मुक्त और पूर्ण शिक्षा के साथ–साथ ऑनलाइन शिक्षा और शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक बुनियादी ढाँचा को मजबूत करना है, जिससे विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति ललक पैदा हो सके और उनका भविष्य बेहतर बन सके। इसके साथ–साथ देश में अनुसंधान के क्षेत्र में व्यापकता लाने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जो देश भर में उच्च शिक्षा के लिए एक समग्र नियामक तैयार करेगा। यह कार्य राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद् के निर्देशन में किया जाएगा। भारतीय उच्च शिक्षा परिषद् में अनेक भूमिकाओं को पूरा करने के लिए उसके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा।

गंगवाल सुभाष अपने शोध पत्र में लिखा है कि 21वीं सदी का भारत ज्ञान प्रधान देश है जिसके अंतर्गत विज्ञान एवं तकनीकी विकास के क्षेत्र में परिवर्तन को देखा गया है। किसी भी देश समाज और समुदाय को विकसित समृद्ध एवं प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के लिए शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में शिक्षा केंद्र एवं राज्यों का विषय है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय हित में शिक्षा का मसौदा तैयार करती है, जिसका अनुमोदन संसद द्वारा लिया जाता है। राज्यों की विधान सभाओं को भी विचार–विमर्श करने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। इसी के आधार पर भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को प्रभावी बनाया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के लिए भारत के अनेक शिक्षाविदों एवं शिक्षण संस्थानों से लगभग 2 लाख सुझाव को प्राप्त किया गया और उनमें से महत्त्वपूर्ण सुझावों को सम्मिलित किया गया। यह शिक्षा नीति का मसौदा डॉ० कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा तैयार

किया गया। इस समिति में समुदाय के अलग–अलग वर्गों के शिक्षाविदों को सम्मिलित किया गया जिससे यह भेदभाव रहित बन सके।

इस शिक्षा नीति में यह ध्यान दिया गया है कि वर्तमान पीढ़ी के युवा के साथ–साथ आने वाली पीढ़ी की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं एवं चुनौतियों से अपने आपको सक्षम बना सके। उच्च शिक्षा में सामान्य नामांकन अनुपात 2035 तक 26.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक लाना है। उच्च शिक्षा में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रमों को समाहित किया गया है, जिससे वर्तमान में युवाओं के बोझ को हल्का किया जा सके तथा उनकी सुविधा अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सके। देश में बेरोजगारी एवं गरीबी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को आसान एवं सुरक्षित बनाया गया है, जिससे गरीब–से–गरीब वर्ग के विद्यार्थी अपने जीवन में शिक्षा का अनुभव प्राप्त कर सके तथा इसके साथ–साथ वह अपने रोजगार को सुचारू ढंग से जारी रखते हुए शिक्षा ग्रहण कर सके।

प्रो. शर्मा के. एल. के अनुसार नई शिक्षा नीति को एक सशक्त और समविमर्शी समाज बनाने के लिए अंगीकृत किया गया है। इनका मानना है कि शिक्षा सभी के लिए इतनी गुणवत्ता परक हो कि व्यक्ति स्वयं को स्वतंत्र, रचनात्मक और नैतिक–दृष्टि से मजबूत समझ सके। शिक्षा एक परिवर्तन और सशक्तिकरण का मुख्य हथियार है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में तमाम तरीके के उलझन को सुलझाता है और अपने व्यक्तित्व को निखारता है। एस. राधाकृष्णन आयोग, 1948, डी.एस. कोठारी आयोग, 1964, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968, द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, अध्यापक राष्ट्रीय आयोग, 1983, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, 1999 और अनेक शिक्षा नीतियों के विचारों से बढ़कर इस शिक्षा नीति को एक समग्र रूप देने का प्रयास किया गया है। अब तक कोठारी आयोग द्वारा शिक्षा आयोग की दशा एवं दिशा को समावेशी माना जाता रहा है लेकिन वर्तमान में समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप इसमें कुछ कमियाँ स्पष्ट हुई जिससे नई शिक्षा नीति का विकास हुआ। नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक स्तर से उच्च स्तर तक संतुलित शिक्षा देने का प्रयास किया गया है तथा सभी के विकास को ध्यान में रखा गया है। इस शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया गया है, जिससे इनके बीच के अंतर को कम किया जा सके और विद्यार्थियों के बीच एक निर्भीक वातावरण का निर्माण किया जा सके। **सिंह दुर्गेश** 2020 के अनुसार भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था त्रिस्तरीय है, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा सम्मिलित है। इस शिक्षा–व्यवस्था में शिक्षित व्यक्ति रोजगार जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है जिससे स्पष्ट होता है कि भारत में भारतीय शिक्षा–व्यवस्था को विश्व स्तर तक पहुँचाने के लिए उसमें तकनीकी शिक्षा की जरूरत है। सरकार ऐसा संकल्पना लेकर नई शिक्षा नीति की जिम्मेदारी शिक्षाविदों को सौंपी है। देश में 34 सालों के बाद नई शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित हो सकी है, जिसमें शोधपरक विचार, नवाचार और तकनीकी शिक्षा के साथ–साथ अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया है। सरकार का यह प्रयास है कि देश में 45000 से अधिक महाविद्यालय हो और 15 लाख से अधिक स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम को संचालित किया जाये और युवाओं को तकनीकी शिक्षा के प्रति प्रेरित कर उनमें क्षमता को विकसित किया जाए।

अध्ययन का उद्देश्य

1. नई शिक्षा नीति, 2020 की जानकारी हासिल करना।
2. नई शिक्षा नीति, 2020 के लक्ष्यों एवं सिद्धांतों का मूल्यांकन करना।
3. नई शिक्षा नीति, 2020 एवं पूर्व की शिक्षा नीति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. नई शिक्षा नीति के मजबूत पहलुओं एवं कमजोर पक्षों को स्पष्ट करना।

शोध–प्रविधि

यह शोध–पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है जिसके अंतर्गत विभिन्न रिपोर्ट, समाचार पत्रों एवं पुस्तकों से तथ्यों को संकलित किया गया है। इस शोध–पत्र में उद्देश्यों के आधार पर अध्ययन को आलोचनात्मक, मूल्यांकनात्मक, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक विधिओं का उपयोग किया गया है। द्वितीय स्रोतों से अध्ययन की सामग्री को डाटा के रूप में लिया गया है।

अध्ययन का महत्त्व

यह अध्ययन द्वितीय स्रोतों पर आधारित है। इस अध्ययन के निष्कर्ष समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। इस तरह के अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में कम देखने को मिलते हैं। इसी कारण से इस अध्ययन को प्रस्तावित किया गया है। शोधकर्ता वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों पहलुओं को समझने का प्रयास कर सकेंगे। वर्तमान समय में यह शोध–पत्र नई शिक्षा नीति, 2020 के नियमों एवं शर्तों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं की क्रिया–विधियों को समझने में मदद करेगा। यह इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि पाठकों के बीच नई शिक्षा नीति, 2020 के विषय में जागरूकता पैदा करने का प्रयास है। इस संदर्भ में इस तरह के शोध–पत्र का महत्त्व समाज में बहुत अधिक है, इसलिए इस शोध–पत्र को लिखा गया है।

भारत में पहली बार शिक्षा नीति 1968 में लाई गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निरूशुल्क शिक्षा एवं सुरक्षा प्रदान की गई। न्यायालय में समय–समय पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की वकालत की गई जिससे समाज में समरसता एवं भाईचारा का विकास हो सके। राज्य सरकारों में अभी तक इस नीति को पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया जा सका है, जिसके चलते आज भी देश के अनेक ऐसे समुदाय में शिक्षा का अभाव है। आजादी के बाद भारतीय शिक्षा ढाँचा में बदलाव होते रहे हैं। कुछ बेहतर दिशा में उन्मुख हुए तथा कुछ कमियों के कारण शिक्षा–व्यवस्था में रुकावटें पैदा करने लगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इन कमियों को दूर कर भारत को वैश्विक ज्ञान के स्तर पर सशक्त बनाना है और युवाओं के अपेक्षाओं को पूरा करना है। इसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखकर शिक्षा देने की सिफारिश की गई है। इस शिक्षा नीति की संकल्पना में यह कहा गया है कि 2030 तक भारत को शिक्षा के क्षेत्र में विकसित करना है और ऐसी शिक्षा व्यवस्था को लागू करना है जो अधिक से अधिक समावेशी हो सके और आत्मनिर्भर के लिए प्रेषित कर सके जिसको सही दिशा में संचालित करने के लिए एक नई राष्ट्रीय एजेंसी का गठन किया जाएगा जो उच्च स्तरीय शिक्षा में टेस्टिंग एजेंसी का काम करेगी।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक दूरगामी विजन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो शिक्षा प्रणाली को अन्य देशों के अनुरूप विकसित कर सके जिसमें भारतीय परंपराओं और मूल्यों को जगह मिल सके। शिक्षा प्रणाली में भारत की एक अलग पहचान बन सके इसके लिए क्षमता और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली का विकास करना है। इसके आधार पर समाज का निर्माण हो सके और भारत की पहचान विश्व स्तर में बन सके। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरण को सम्मिलित किया गया है, जिससे विद्यार्थियों में नैतिकता एवं समाज कल्याण की भावना विकसित हो सके और उनके बीच देश के लिए अपनत्व की जिम्मेदारी का बोध हो सके। देश में हासिए पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्पसंख्यक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों पर अधिक–से–अधिक ध्यान दिया गया है।

नई शिक्षा नीति, 2020 के कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों को इस शोधालेख में समाहित किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

1. देश में प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके समग्र विकास हेतु प्रयास करना।
2. सभी के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना।
3. भारत में शिक्षा को लचीलापन बनाना जिससे विद्यार्थियों में सीखने के प्रति जागरूकता बढ़ सके और उनके अनुसार पाठ्यक्रम चुनने की आजादी हो सके।
4. कला एवं साहित्य के साथ–साथ विज्ञान जैसे विषयों के पाठ्यक्रम एवं गतिविधियों को तैयार करना जिससे विद्यार्थियों के अंतर्गत व्यावसायिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों की भावना विकसित हो सके।
5. इसके अंतर्गत बहु–विषयक पाठ्य–सामग्री तैयार करने पर बल दिया गया है।
6. सृजनात्मक सोच को बेहतर बनाने के लिए परीक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ किया गया है।

7. रचनात्मक एवं तार्किक–सोच को विकसित करने के लिए विद्यार्थियों के बीच नवाचार को प्रोत्साहित किया गया है।
8. व्यक्ति के जीवन में नैतिकता, मानवीय–मूल्य और संवैधानिक–मूल्यों का विकास हो सके– इसके लिए पाठ्यक्रमों में संशोधन किया गया है।
9. इसमें व्यक्ति के जीवन में कौशल तथा सृजनात्मक–सोच, नैतिक भावना, सकारात्मक संवाद, सहयोग की भावना, सामूहिक कार्यों एवं सांस्कृतिक–कार्यों को बढ़ावा दिया गया है।
10. देश की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विविधता और स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखकर शिक्षा देने की सिफारिश की गई है।
11. सभी शैक्षणिक संस्थाओं के नियमों में पूर्णरूप से स्पष्टता और समावेश को ध्यान में रखा गया है।
12. नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा पाठ्यक्रमों में तालमेल एवं सामंजस्य को स्थापित किया गया है।
13. इसके अंतर्गत सीखने के लिए सतत् मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया है तथा परीक्षा के महत्त्व को कम किया गया है। संवाद जैसे नीतियों को समाहित किया गया है।
14. नई शिक्षा नीति के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ–साथ उत्कृष्ट स्तर के शोध–कार्यों के लिए नए नियमों को लागू किया गया है।
15. नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश में भारतीय परंपराओं एवं मूल्यों का विकास करने के लिए देश की प्राचीन एवं आधुनिक संस्कृति के बीच तालमेल को स्थापित किया गया है तथा ज्ञान की विभिन्न परंपराओं का समावेश भी किया गया है।
16. देश के लिए शिक्षा को सार्वजनिक सेवा मानते हुए प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना गया है। इस दृष्टिकोण से नई शिक्षा नीति में शिक्षा को एक सार्वजनिक पहलू के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है।
17. नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को मजबूत और जीवंत बनाने के लिए तकनीकी एवं रचनात्मक शिक्षण प्रणाली को विकसित किया गया है जिससे शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल सके और निजी एवं सामुदायिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सभी पाठ्यक्रमों में सुधार किया गया है। शिक्षा के व्यवसाय पर रोक लगाने के लिए इसको निजी संस्थाओं के अधिकार से मुक्त किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक खर्चे को स्पष्ट करने के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने निःशुल्क एवं अन्य अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट 21 जुलाई, 2017 को जारी किया जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार काफी फंड रिटर्न करके रखा हुआ है अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली धनराशि को व्यय नहीं किया गया है। यह एक कमजोर वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 6 वर्षों में 12259 से 17282 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर पाए जिससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कमियों के कारण युवाओं के बीच चुनौतियाँ को आने का मौका मिला है। राज्य सरकार के इस नीतियों को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा का बजट दिन प्रतिदिन कम कर रही है जिससे शिक्षा में गिरावट आ रही है। वर्ष 2014–15 में यह बजट घ550115 करोड़ रुपए था। वर्ष 2016–17 में यह बजट 4354 करोड़ हो गया लेकिन 2019–20 में इसमें वृद्धि देखने को मिली और इसका बजट 56536 करोड रुपए था। उच्च शिक्षा में सरकार द्वारा जो खर्च किया जा रहा है उसे अधिक तार्किक एवं स्पष्ट लक्ष्य बनाने की जरूरत है, जिससे शिक्षा में सुधार हो सके और शिक्षकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जा सके। शिक्षा को निजीकरण से बचाना चाहिए जिससे इस व्यवसाय को रोका जा सके और इसे अधिक–से–अधिक समाज सेवा के साथ जोड़ा जा सके। शिक्षा में तकनीकी का उपयोग कर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए जिससे उनको सीखने में मदद मिल सके। शिक्षा में बार–बार

परिवर्तन करने के स्थान पर वर्तमान की योजनाओं को स्पष्ट एवं व्यवस्थित करने की जरूरत है। गरीब और वंचित वर्गों का ध्यान रखा जाए, जिससे समाज में समानता और समता को प्राप्त किया जा सके। आज भी देश के अनेक शिक्षण संस्थानों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं विद्यालय सम्मिलित हैं जो केंद्र और राज्य के नियमों को ध्यान में रखकर संचालित हो रहे हैं। आज के इस इस दौर में शिक्षा को तकनीकी शिक्षा के साथ–साथ विज्ञान और इंटरनेट के माध्यम से अन्य विदेशी भाषाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम केवल मातृभाषा के विकास पर ही अधिक–से–अधिक ध्यान केंद्रित करें तो देश में रोजगार के अवसरों में कमी का सामना करना पड़ेगा और हम तकनीकी शिक्षा के दृष्टिकोण से बिछड़ जाएँगे। एक कल्याणकारी देश के लिए स्पष्ट नीति होनी चाहिए जिसमें आगामी परिवर्तनों के साथ–साथ नई चुनौतियों को ध्यान में रखकर नियमों का समायोजन हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति का इस प्रकार से क्रियान्वयन करना है कि समाज की सभी वर्गों को विकास के उचित एवं समान अवसर सुलभ हो सके।

निष्कर्ष

अतः निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार शिक्षा को विद्यार्थियों के बीच सुलभ बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा के साथ–साथ रचनात्मक एवं उनके रुचियों के अनुरूप बनाना अनिवार्य है। शिक्षा को रटकर सीखने जैसे विषयों को सीमित कर उनका अंकात्मक मूल्यांकन मजबूत एवं स्पष्ट करना है। शिक्षा को वास्तविक अर्थ में ज्ञान और कौशल के साथ–साथ मानवीय–मूल्यों को प्राप्त करने के लिए सुलभ बनाना अनिवार्य है। शिक्षा के क्षेत्र में शोध–कार्यों को स्पष्ट एवं सार्वजनिक स्तर पर पहुँच स्थापित करना महत्त्वपूर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नई शिक्षा नीति, 2020 को सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो भारतीय शिक्षा को विश्व स्तर पर एक नई पहचान मिल सकती है लेकिन इसमें कुछ कमियाँ हैं, जिसे सुधारने की जरूरत है, जैसे– कोर्स पूरा करने के लिए समयावधि निर्धारित न करना तथा स्पष्टता का अभाव है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के मूल्यांकन से यह स्पष्ट हो सका है कि इसके अंतर्गत समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत समाज के सभी व्यक्तियों के लिए समान शिक्षा के अवसरों में सुधार किया गया है, जिससे जातिवाद, लिंग, भेद–भाव और क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति की नीतियों में उल्लिखित प्रस्ताव है कि कौशल परक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण संस्थानों को रचनात्मक शिक्षा पर ध्यान देना है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया में अधिक विश्वसनीयता आ सकती है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कुछ कमियाँ हैं जो शिक्षा को निचले स्तर पर लेकर जा सकती हैं। संसाधनों में कमी यह दर्शाता है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौतियाँ आ सकती हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रशासनिक चुनौतियाँ का सामना करना पड़ सकता है। नई शिक्षा नीति की नीतियों को संचालित करने के लिए व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षमता की आवश्यकता होगी जिसमें कई तरह की चुनौतियाँ हो सकती हैं। इसके अंतर्गत कोर्स को पूरा करने में विद्यार्थियों को अधिक–से–अधिक समय लगेगा जिससे शिक्षा में गिरावट आ सकती है।

संदर्भ सूची

1. प्रकाश कुमार, 21वीं सदी की माँग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति, *आउटलुक* हिंदी, 24 अगस्त, 2020
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, (2020) मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार।
3. शर्मा, के. एल. (2020) *दैनिक भास्कर,* जयपुर संस्करण, पृष्ठ 2, 24 अगस्त, 2020।
4. गंगवाल, सुभाष (2020) नई शिक्षा नीति, 21वीं सदी चुनौतियों का करेगी मुक़ाबला, *दैनिक नवज्योति,* पृष्ठ 4, 22 अगस्त, 2020

5. राजस्थान पत्रिका, नागौर, 28 जनवरी, 2020, संपादकीय पृष्ठ 04.

6. सिंह दुर्गेश, (2020) *क्रोनिकल* मासिक पत्रिका, मई, 2020 पृष्ठ 80–81।

7. https://www.education.gov.in/sites/upload files/NEP_Final_English_0.pdf, Assess on 25/02/2024.

8. http://en.wikipedia.org/wiki/National_Education_Policy_2020, Assess on 25/02/2024.

9. Puri, Natassha (30 August 2019). A Review of the National Education Policy of the Government of India- The Need for Data Dynamism in the 21 st Century. SSRN, Assess on 25/02/2024.

10. Vedhathiri, Thanikachalam (2020), "Critical Assessment of Draft Indian National Education Policy 2019 with Respect to National Institutes of Technical Teachers Training and Research", *Journal of Engineering Education,* p 33.

11. https://mgmu.ac.in/wp-content/uploads/NEP-Indias-New -Education-Policy_2020-final.pdf, Assess on 26/02/2024.

12. http://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ijmer/pdf/volume10/volume10-issue2(5)/33.pdf, Assess on 26/02/2024.

13. Kumar, K. (2005). Quality of Education at the Beginning of the 21st Century: Lessons from India. Indian Educational Review 2. Draft National Education Policy 2019, Assess on 26/02/2024.

14. https://innovate.mygov.in/wpcontent/uploads/2019/06/mygov15596510111.pdf3.National Education Policy 2020, Assess on 26/02/2024.

15. http://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/Nep_Final_English.pdf referred on 10/08/2020, Assess on 26/02/2024.

****